न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

प्रकरण संख्या:- 75/2015 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00022), पीठासीन अधिकारी:- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

श्रीमति आशा देवी पत्नी चन्द्रपाल सिंह जाति जाट नि0 ग्राम बहज तहसील डीग हाल आबाद मोरी मौहल्ला वार्ड नम्बर 7 डीग तहसील व जिला डीग

-वादिया

बनाम

1. मुस0 किरन देवी पत्नी स्व0 हिम्मत सिंह जाति जाट नि0 हसनपुर जरेलिया तहसील मॉट जिला मथुरा(उ0प्र0)
2. रजनी पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 चिकसाना तहसील भरतपुर
3. मोनिका पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जाट नि0चिकसाना तहसील भरतपुर
4. शारदा उर्फ साधना पत्नी ठाकुर सिंह पुत्री स्व0 हिम्मत सिंह जाट नि0 गहर्राकला(आगरा)उ.प्र.
5. सरपंच ग्राम पंचायत बहज तहसील डीग
6. श्रीमान् जिला कलक्टर,भरतपुर
7. तहसीलदार तहसील डीग व सब रजिस्ट्रार डीग

-असल प्रति0

8. रनवीर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट नि0 ग्राम बहज हाल ग्राम सेवर तहसील भरतपुर

-तरतीवी प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांक: 30.04.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 5126/0.84, 5127/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46,7298/0.13 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 5126/0.84, 5127/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46, 7198/0.13 वाक़े ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह कॉम जाट नि0 बहज के गैर खातेदार एलॉटी की आराजी है। हिम्मत सिंह मेरे पति चन्द्रपाल सिंह के सगे पारिवारिक ताऊ लगते है जो दिनांक 04.10.2013 को फौत हो चुके है। प्रति0 1 लगायत 4 व 8 सभी पारिवारिक सदस्य है। हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह की पत्नी पिछले 14 साल से हिम्मत सिंह से अलग होकर अपने पीहर ग्राम हसनपुर जरैलिया तहसील मॉट जिला मथुरा में रह रही है तथा हिम्मत सिंह पर भरण पोषण का दावा कर रखा है। हिम्मत सिंह अकेला है उनके कोई पुत्र नहीं है और पुत्रियां भी अपनी ससुराल में रहती है। हिम्मत सिंह वादिनी व वादिनी के पति के साथ रह रहे है और अपना खाना पीना करते है व वादिनी ही हिम्मत सिंह की सेवा करती है व हमारे परिवार के साथ ही परिवार के सदस्य के रूप में रह रहे है। हिम्मत सिंह ने दिनांक 19.02.2001 में मुझ वादिनी व मेरे पति के ताऊ रनवीर सिंह के पक्ष में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयतनामा स्टाम्प कुल 10/-रू0 पर अपने स्वयं के द्वारा कलमी व दस्तकी से तहरीर कर सुपुर्द वादिनी कर दिया। हिम्मत सिंह के फौत हो

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जाने के वाद बसीयतनामा के आधार पर वर्णित आराजी खसरा नम्बर 5126/0.84, 5127/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46, 7298/0.13 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग वाद पत्र संख्या 2 व 3 पर वादिनी व रनवीर सिंह वाहैसियत खातेदार काबिज है और मौके पर भी कब्जा काश्त है। हिम्मत सिंह द्वारा वादिनी व तरतीवी प्रति0 रनवीर सिंह के हक में वैधानिक रूप से बसीयतनामा करने बाबजूद व आराजी खसर नम्बर पर वादिनी व रनवीर सिंह का बतौर खातेदार होने के बाबजूद तथा बसीयतनामा के बजूद में होने के जानकारी के बाबजूद प्रति0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा रेवेन्यू अधिकारियों से साज कर अपने नाम गलत तरीके से नामा0 अपने नाम कराने की पूरी साजिस कर रहे है। ग्राम पंचायत बहज सरपंच को पक्षकार मुकदमा इसलिए बनाया गया है कि वह नामा0 ग्राम पंचायत में तस्दीक करने के अधिकारी है उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 5126/0.84, 5187/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46, 7298/0.13 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग पर वादिनी व तरतीवी प्रति0 संख्या 8 रनवीर सिंह को वाहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर स्व0 हिम्मत सिंह का नाम कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वे मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.06.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का जबाव दिनांक 06.07.2015 को पेश किया गया। दिनांक 25.08.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। दिनांक 09.11.2015 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। दिनांक 03.02.2016 को जबाव सरकार पेश किया गया। दिनांक 28.04.2016 को वादिया के द्वारा प्रार्थना पत्र वावत दस्तावेजात को रिकोर्ड पर लिये जाने पेश किया गया। जिसे दिनांक 07.11.2016 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर सम्बन्धित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया गया।

दावा जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादिया विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है?
2. आया वादिया विवादित आराजी बावत प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने की अधिकारी है?
3. आया विवादित आराजी पर दर्ज खातेदार हिम्मत सिंह के विधिक वारिसान प्रति0 1 लगायत 4 ही है?
4. आया विवादित आराजी बावत तथा कथित बसीयत दिनांक 19.02.2001 हिम्मत सिंह द्वारा वादिया के पक्ष में तस्दीक नहीं कराया है?
5. आया वादिया का आराजी मुत0 से कोई सरोकार नहीं है?
6. दादरसी?

साक्ष्य वादिया में दिनांक 23.03.2017 को वादिया आशा देवी का शपथ पत्र पेश किया गया। आशा देवी के बयान पीडब्ल्यू-1 दर्ज किये गये तथा शेष साक्ष्य वादिया में रानी देवी का शपथप पत्र पेश किया गया। रानीदेवी की जिरह पूर्ण की गई। दिनांक 04.07.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 16 नियम 01 व 02 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र का जबाव प्रति0 के द्वारा दिनांक 06.07.2017 को पेश किया गया। वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.07.2017 को स्वीकार किया गया। साक्ष्य वादी में दिनांक 30.08.2017 को तुलाराम का शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 08.09.2017 को तुलाराम के बयान पंजीबद्व किये गये तथा शेष गवाहान महावीर प्रसाद,उपेन्द्र कुमार शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

एड0 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा दिनांक 22.09.2017 को पीडब्ल्यू-4 व पीडब्ल्यू-5 बयान पंजीबद्ध किये जाकर साक्ष्य वादिया बंद की गई। साक्ष्य प्रति0 में दिनांक 09.10.2017 को किरन देवी का शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 24.10.2017 को वादीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द गोयल एड0 ने अपना वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रति0 किरनदेवी के बयान डीडब्ल्यू-1 पंजीबद्ध किये गये। दिनांक 20.11.2017 को साक्ष्य प्रति0 संख्या 3 मोनिका का शपथ पत्र पेश किया व वकील प्रति0 ने साक्ष्य प्रति0 में रिजर्व बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 30.11.2017 को प्रति0 संख्या 8 की ओर से श्री नीरज वर्मा की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा डीडब्ल्यू-2 में मौनिका के बयान पंजीबद्ध किये गये व शेष साक्ष्य प्रति0 में रनवीर व राम सिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 04.12.2017 को डीडब्ल्यू-3 में गबाह रामसिंह के बयान पंजीवद्व किये गये।

दिनांक 08.12.2017 को डीडब्ल्यू-4 में गवाह रनवीर के बयान पंजीबद्ध किये गये। दिनांक 19.12.2017 को वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 73 साक्ष्य अधिनियम प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.12.2017 को प्रार्थना पत्र का जबाव वकील प्रति0 ने पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.01.2018 को वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र में वर्णि तथ्यों को वाद के अन्तिम निर्णय के समय अवलोकन किया जाने हेतु रखा गया। दिनांक 02.02.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 15.02.2018 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 18.04.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) जा.दी. पर उभय पक्ष को सुना जाकर 500/-रू0 कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 03.12.2019 को प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर प्रदर्श डालने हेतु पेश किया गया। जोकि प्रदर्श डालने की हद तक साक्ष्य की अनुमति दी गई। दिनांक 15.09.20 को वादिया की ओर से श्री बेदप्रकाश एड0 ने अपना वकालतनामा पेश किया। वादिया के अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश को बहस हेतु न्यायहित में कई अवसर दिये जाने के उपरांत दिनांक 14.05.2024 को लिखित बहस पेश की गई। दिनांक 17.12.2024 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा दिनांक 06.02.2025 को मजीद बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह के खास ताऊ हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट नि0 बहज तहसील डीग की एलॉटी खातेदारी की आराजी है। चूँकि उक्त हिम्मत सिंह की पत्नी किरनदेवी दावा दायरी से 14 वर्ष पूर्व अलग होकर अपने पीहर ग्राम हसनपुर जरैलिया तहसील मांट जिला मथुरा चली गई और वही रह रही है और वहाँ अपना निवास दिखाते हुए हिम्मत सिंह के विरूद्व भरण पोषण का प्रकरण दायर कर दिया। हिम्मत सिंह के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था और सिर्फ तीन पुत्रियां प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 पैदा हुई थी। जिनका हिम्मत सिंह ने विवाह कर दिया और वह अपनी ससुराल में निवास कर रही है। उक्त हिम्मत सिंह अकेला ही गॉव बहज में रहने लगा। हिम्मत सिंह की सेवा सुश्रुषा वादिया करती थी। हिम्मत सिंह वादिया के साथ ही परिवार के सदस्य के रूप में रहने लग गये। जिस कारण हिम्मत सिंह ने दिनांक 19.02.2001 में वादनी व वादनी के तईया ससुर रनवीर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह के पक्ष में उक्त आराजी सहित अपनी अन्य समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत अपने स्वयं के द्वारा कलमी दस्तखती से 10 रूपये के स्टाम्प जिसमें 5/2 पर तहरीर कर व उस पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर व गवाह के हस्ताक्षर कर हवाले वादिया की। वाद तहरीर वसीयत उक्त हिम्मत सिंह की दिनांक 04.10.2013 को मृत्यु हो गई। उक्त हिम्मत सिंह के फौत हो जाने के वाद उक्त वर्णित आराजी वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग पर वादनी व रनवीर सिंह वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हुए और मौके पर निरन्तर कब्जा काश्त है। वादिया उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर जबाव पेश कर वादिया के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में दर्ज किया कि वसीयतनामा फर्जी है। क्योंकि हिम्मत सिंह अधिकांशतः अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करते थे तथा हिम्मत सिंह के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भरतपुर द्वारा हिम्मत सिंह के भूतपूर्व सैनिक के पहचान पत्र हिम्मत सिंह के हो रहे हस्ताक्षर से तथा कथित वसीयतनामा में कथित हिम्मत सिंह के हस्ताक्षर से दूर दूर तक मेल नहीं खाते है तथा हिम्मत सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के खातेदारी हेतु दावा न्यायालय श्रीमान में पेश किया था उसकी डिक्री होने पर हिम्मत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी इजराय की कार्यवाही प्रतिवादीगण द्वारा कराई गई है।

वाद कायमी तनकीयात वादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1, असल वसीयतनामा,प्रदर्श-2 व दा0खा0 प्रदर्श-3 निर्णय हिम्मत सिंह बनाम सरकार प्रदर्श-4 व नकल अर्जी दावा हिम्मत सिंह बनाम सरकार प्रदर्श-5 नकल आर्डरशीट रजनी बनाम हिम्मत सिंह प्रदर्श-6,नकल दावा रजनी बनाम हिम्मत सिंह प्रदर्श-7,नकल आर्डरशीट दिनांक 22.12.2013 से 18.09.2014 प्रदर्श-8,व नकल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदर्श-9, व व नकल रजिस्टर्ड स्टाम्प क्र.सं. 5793 प्रदर्श-10, नकल आदेश दिनांक 09.09.2014 किरन वगै0 बनाम हिम्मत सिंह प्रदर्श-11,नकल निर्णय दिनांक 09.07.2010 न्यायालय श्रीमान एसीजेएम डीग प्रदर्श-12,सरकार बनाम चन्द्रपाल वगै0 व नकल दावा हिम्मत सिंह बनाम सरकार प्रदर्श-13 व नकल वकालतनामा दिनांक 22.12.2007 हिम्मत सिंह बनाम सरकार प्रदर्श-14, नकल वकालतनामा हिम्मत सिंह बनाम सरकार प्रदर्श-15, व नकल निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रपाल बनाम रनवीर वगै0,दस्तावेजी साक्ष्य में पेश किये व मौखिक साक्ष्य में वादिया ने स्वयं अपने बयान पीडब्ल्यू-1 व गवाहान पीडब्ल्यू-2 रानीदेवी व पीडब्ल्यू-3 महावीर प्रसाद स्टाम्प वेंण्डर व पीडब्ल्यू-4 तुलाराम व पीडब्ल्यू-5 उपेन्द्र कुमार शर्मा के बयान कराये गये एवं प्रति0 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-डीडब्ल्यू-1 किरनदेवी, डीडब्ल्यू-2 मौनिका,डीडब्ल्यू-3 रामसिंह व डीडब्ल्यू-1 रनवीर सिंह के बयान लेखबद्व कराये गये।

हिम्मत सिंह ने वादिया के पक्ष में स्वयं कलमी अपने हाथ से वसीयतनामा तहरीर किया और वाद तहरीर उस पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर किये व गवाह तुलाराम के वतौर गवाह हस्ताक्षर कराये। इस वसीयतनामा को सावित करने के लिए वादिया द्वारा गवाह स्टाम्प वैण्डर महावीर प्रसाद पीडब्ल्यू-3 को पेश किया है। जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वसीयतनामा हेतु स्टाम्प पेपर स्वयं हिम्मत सिंह ने क्रय किया है। इस वसीयतनामा पर बतौर गवाह तुलाराम के हस्ताक्षर है। उक्त तुलाराम पीडब्ल्यू-1 ने अपने सामने तहरीर की थी। इस प्रकार वसीयतनामा प्रदर्श-2 को वादिया अपने पक्ष में सावित करने में पूर्णतया सफल है और हिम्मत सिंह की मृत्यु के बाद से विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है।

जहॉ तक वादिया के अलावा मृतक हिम्मत सिंह के भाई रनवीर सिंह के पक्ष में भी वसीयत की गई थी। यह सत्य है लेकिन पत्रावली पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह व उक्त रनवीर सिंह के द्वारा दिनांक 31.03.1997 को वसीयतनामा तहरीर कराई थी लेकिन वसीयतनामा तहरीर होने के बाद उक्त रनवीर सिंह अकारण वादिया उसके पति व अन्य परिवारीजन के साथ झगडा फिसाद करता था तथा चाहे जब पैसों की मांग करता रहता जिसका वादिया उसके पति द्वारा विरोध करने पर उक्त रनवीर सिंह ने वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह के पक्ष में कराई वसीयत दिनांक 25.04.2008 को निरस्त करा दिया व उसके बाद भी रनवीर सिंह वादिया उसके पति व उसके अन्य परिवारीजन ने झगडा फिसाद करने लगा और स्वयं रनवीर सिंह ने वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह व अन्य के विरूद्व एक झूंठा मुकदमा नम्बर 317/08 दर्ज कराया जिसमें बाद ट्रायल वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह व अन्य को दोषमुक्त किया गया जो प्रदर्श-12 पेश की है। इसके अलावा वादिया के पति चन्द्रपाल सिंह व रनवीर सिंह के मध्य न्यायालय श्रीमान एसीजेएम डीग के समक्ष दावा व उनवानी चन्द्रपाल बनाम रनवीर सिंह व अन्य चल रहा है।

इस रंजिशवश उक्त रनवीर सिंह डीडब्ल्यू-4 वादिया के पक्ष में तहरीर वसीयतनामा से इन्कार करता है। जबकि स्वयं उसके पक्ष में रनवीर सिंह के भाई हिम्मत सिंह द्वारा वसीयत की गई है और गवाह डीडब्ल्यू येन केन प्रकरण वादिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्लीन हैण्ड से नहीं है। एक निष्पक्ष गवाह की श्रेणी में नहीं आता है। प्रतिवादीगण का यह ऐतराज की हिम्मत सिंह द्वारा सैनिक बॉर्ड के कागजात में व पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम इत्यादि पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये है। प्रथम तो यह वसीयत स्वयं हिम्मत सिंह द्वारा हस्तलिखित है। द्वितीय उसके स्वयं के हस्ताक्षर है जहॉ तक अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का प्रश्न है। उक्त हिम्मत सिंह द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में जो दावा पेश किया था जो प्रदर्श-13 व वकालतनामा प्रदर्श-14 व 15 पेश किये है। इन समस्त दस्तावेजात पर हिम्मत सिंह वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर हिन्दी में किये है जो वसीयतनामा पर हो रहे हस्ताक्षरों से मेल खाते है। यह तथ्य भी पत्रावली पर बखूवी सावित है कि विवादित आराजी हिम्मत सिंह की एलॉटी खतोदारी आराजी थी और हिम्मत सिंह को अपनी आराजी की वसीयत करने के समस्त अधिकार प्राप्त थे और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए हिम्मत सिंह द्वारा वसीयतनामा तहरीर कराया था। इस सम्बन्ध में पेज 23 आर.आर.डी.1988 लक्ष्मीनारायन बनाम वंशीलाल कानूनी द्रष्टांत पेश है। इसके अलावा प्रतिवादी का यह ऐतराज की वसीयतनामा पर सिर्फ एक गवाह के हस्ताक्षर है। इस सम्बन्ध में SC 2012(2) आर.आर.टी. पेज 1009 स्पष्ट है कि वसीयतनामा पर सिर्फ एक गवाह

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

का होना पर्याप्त है। इसके अलावा जब तक वसीयतनामा अस्तित्व में है और उसे जब तक प्रतिवादी द्वारा निरस्त नहीं करा दिया जाता तब तक प्रतिवादी वादिया के विरूद्व कोई दादरसी पाने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादिया तनकी संख्या 1व 4 को अपने पक्ष में सावित करने में पूर्णतया सफल है और वादिया विवादित आराजी की अपने पक्ष में खातेदारी साबित करा पाने की पूर्ण अधिकारणी है। चूंकि वादिया तनकी संख्या 01 व 04 को अपने पक्ष में सावित करने में पूर्णतया सफल रही इसलिए तनकी संख्या 2 व 3 भी वादिया के पक्ष में निर्णीत किये जाने योग्य है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि इनका दावा वसीयत पर आधारित है। हिम्मत सिंह जो हमारे पिता एवं पति उन्होने वसीयत आशादेवी व रनजीत सिंह को की थी। रनजीत सिंह ने शपथ पत्र पेश किया है कि ना तो उसने मुझे वसीयत की थी और ना इनको वसीयत की थी। वसीयत को असल पेश करके सिद्व करना जरूरी है। कम से कम दो गवाहों से प्रमाणित कराना जरूरी है। इस वसीयत में दो गवाह ही नहीं है। Sec. 68 साक्ष्य अधिनियम के तहत एक प्रमाणित गवाह को कम से कम पेश करना हेाता है अैर वसीयत के लेखक को पेश करना होता है। वसीयत ही Prove नहीं हुई व वसीयत को संदेह से परे सावित करना होता है। जिस समय की यह वसीयत बताते है उस समय यह जमीन हिम्मत सिंह के नाम गैर खातेदारी में थी और एक गैर खातेदार को अपनी जमीन को अलीनेट करने की Power नहीं होती है। यदि वसीयत हो भी तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि हम प्रतिवादीगण हिम्मत के वारिसान है। हिम्मत सिंह के नाम गैर खातेदारी थी जब खतोदारी हुई उसको हमने ही Contest किया है। उस समय आप कहॉ थे।

मैने ऑथरिटी पेश की है। गैर खातेदार को यह Right नहीं है और वसीयत को इन्होंने कोर्ट में Prove नहीं किया है। डिक्री की पालना भी हमारे हक में हुई है। इनका Base केवल वसीयत ही है। वसीयत के गवाह के रूप में तुलाराम है जिसके इन्होंने बयान करवाये है। वसीयत में किसी भी आराजी का वर्णन नहीं है। आज की दिनांक में यह जमीन विक चुकी है।

हमने वादिया के वादपत्र,प्रतिवादीगण के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू-1 आशादेवी पत्नी चन्द्रपाल सिंह,पीडब्ल्यू-2 रानीदेवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह,पीडब्ल्यू-3तुलाराम पुत्र लौहरे,पीडब्ल्यू-4 उपेन्द्र कुमार शर्मा,पीडब्ल्यू-5 महावीर प्रसाद पुत्र चिरंजीलाल,डीडब्ल्यू-1 किरनदेवी, डीडब्ल्यू-2 मोनिका,डीडब्ल्यू-3 रामसिंह,डीडब्ल्यू-4 रनवीर सिंह के बयान एवं

प्रदर्श-पी-1,जमाबन्दी ग्राम बहज बर्ष 2015 हाल खसरा नम्बर 5126/0.84,5127/0.30, 6760/0.68,7267/0.46,7298/0.13 किस्म बारानी-I,जाब-2,चाही-2 हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह कॉम फौजदार सा.देह गैर खातेदार अलॉटी 5 साल बन्दोवस्ती दर्ज है।

प्रदर्श-पी-2 दिनांक 19.02.2001 के 5 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर लिखित हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी बहज का वसीयतनामा जो श्री हिम्मत सिंह का कलमी है। जिसमें गवाह के रूप में तुलाराम पुत्र लौहरे जाट निगोही के हस्ताक्षर है साथ में हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति है। जिसमें उनकी मृत्यु 04.10.2013 को बहज में होना अंकित है।

प्रदर्श-पी-3, रनवीर सिंह पुत्र गिर्राज सिंह का 10रू0 के स्टाम्प शुल्क पर 22.06.2015 को लिखा शपथ पत्र है जिसमें उसने शपथ पूर्वक बयान किया है कि मेरे वडे भाई हिम्मत सिंह की दिनांक 04.10.2013 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक हिम्मत सिंह की वारिस उसकी तीन पुत्रियां रजनी,मोनिका व शारदा उर्फ साधना व उसकी पत्नी किरनदेवी जीवित मौजूद है और हिम्मत सिंह के जीवनकाल में उसकी पुत्रियां ही हिम्मत सिंह की देखभाल व सेवा सुश्रुषा करती रही है और हिम्मत सिह की मृत्यु होने पर हिम्मत सिंह के समस्त दाह संस्कार क्रिया कर्म व उसका खर्चा हिम्मत सिंह के वारिसान उसकी पुत्रियों व पत्नी ने ही किया था। हिम्मत सिंह द्वारा अपनी मृत्यु उपरांत छोडी गई समस्त चल अचल सम्पत्ति पर आज भी मौके पर हिम्मत सिंह के वारिसान उसकी पुत्रियों रजनी,मोनिका व शारदा उर्फ साधना तथा उसकी पत्नी किरनदेवी का ही कब्जा है।

प्रदर्श-पी-4, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग का प्रकरण संख्या 17/07 हिम्मत सिंह बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2007 जिसके आदेश में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 5126/0.84, 5127/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46 व 7298/0.13 हैक्टे0 ग्राम बहज का गैर खातेदार एलॉटी से खातेदार घोषित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श-पी-5 हिम्मत सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट के वादपत्र की प्रमाणित नकल है।

प्रदर्श-पी-6 रजनी बनाम हिम्मत सिंह मु0नम्बर 148/07,की आदेशिका की प्रमाणित प्रति है जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है।

प्रदर्श-पी-7,मुकदमा नम्बर 148/07 रजनी बनाम हिम्मत सिंह अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट के वादपत्र की प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-पी-8 प्रमाणित प्रति रजनी बनाम हिम्मत सिह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग आदेशिका दिनांक 18.09.2014 अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त होने की आदेशिका है।

प्रदर्श-पी-9, रजनी बनाम हिम्मत सिंह आर.टी.ए. 212 प्रार्थना पत्र मु0नम्बर 116/07की प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-पी-10 प्रमाणित छांया प्रति स्टाम्प वेण्डर रजिस्टर महावीर स्टाम्प विक्रेता है। जिसकी क्र.सं. 5793 पर 10 रू0 के स्टाम्प वसीयतनामा हेतु क्रय किये जाने के लिए हिम्मत सिंह के हस्ताक्षर है।

प्रदर्श-पी-11, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के प्रकरण संख्या 110/02, किरन पत्नी हिम्मत सिंह बनाम हिम्मत सिंह के आर.टी.ए. 88,89 व 188 के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2004 की प्रमाणित प्रति है। जिसमें दावा वादिया दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित ना होने पर 9 सितम्बर 2004 को खारिज किया गया है।

प्रदर्श-पी-12,प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 09.07.2010 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,डीग फौजदारी प्रकरण संख्या 317/2008 जिसके आदेश में अभियुक्तगण चन्द्रपाल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह तथा राजवीर उर्फ राजीव पुत्र वीरेन्द्र सिंह को आरोप से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त किया गया है।

प्रदर्श-पी-13 हिम्मत सिंह बनाम राजस्थार सरकार आर.टी.ए. 88,89 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग में वादपत्र की प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-पी-14,हिम्मत सिंह बनाम राजस्थान सरकार में प्रस्तुत श्री कृष्णशर्मा एडवोकेट के वकालतनामा की प्रमाणित प्रति है जो वादीगण की ओर से पैरवी करेंगे।

प्रदर्श-पी-15, हिम्मत सिंह बनाम सरकार में प्रतिवादीगण की ओर से श्री नीरज कुमार वर्मा एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रमाणित प्रति है।

प्रदर्श-पी-16 प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 05.03.2014 दीवानी विविध वाद संख्या 29/13,चन्द्रपाल बनाम रनवीर वगै0 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 जा.दी.,

प्रतिवादी द्वारा प्रदर्शित साक्ष्य:-

प्रदर्श डी-1,न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के राजस्व वाद संख्या 17/07,अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट हिम्मत सिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 19.07.2007,प्रदर्श-डी-2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के प्रकरण संख्या 17/07, हिम्मत सिंह बनाम सरकार डिक्री की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी-3 सत्य प्रतिलिपि नामा0 संख्या 1366 दिनांक 31.12.75 जिसमें हुक्मन हिम्मत सिह पुत्र गिर्राज सिंह कॉम फौजदार की वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर पर एलॉटी गैर खातेदार से सा.देह खातेदार दर्ज किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः-

<u>तनकी संख्याः-1,</u> तनकीयात आया वादिया विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी ग्राम बहज बर्ष 2015 हाल खसरा नम्बर 5126/0.84, 5127/0.30, 6760/0.68, 7267/0.46, 7298/0.13 किस्म बारानी-I, जाब-2,चाही-2 हिम्मत सिंह पुत्र गिर्राज सिंह कॉम फौजदार सा.देह गैर खातेदार एलॉटी 5 साल बन्दोवस्ती दर्ज है।

वादिया का सम्पूर्ण दावा प्रदर्श-पी-2 वसीयतनामा दिनांक 19.02.2001 हिम्मत सिंह का है जो 5 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर लिखा गया। हिम्मत सिंह का कलमी है। जो ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही नॉटराइज्ड है। जिस पर मात्र एक गवाह तुलाराम पुत्र लौहरे के हस्ताक्षर है। जिसमें जरिये वसीयत हिम्मत सिंह ने ग्राम बहज की अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति रनवीर सिंह व आशादेवी जाति जाट निवासी ग्राम बहज को अपनी मृत्यु उपरांत देने की इच्छा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

जाहिर की है। रनवीरसिंह वसीयतकर्ता का छोटा भाई है एवं आशा देवी उसके भाई के लडके चन्द्रपाल की पत्नी है। प्रदर्श-डी-3 पर रनवीर सिंह का 10 रूपये के स्टाम्प पर 22.06.2015 को लिखा शपथ पत्र है जिसमें ऐसी किसी वसीयत से इन्कार किया है और वादग्रस्त आराजी पर हिम्मत सिंह के वारिसान का ही कब्जा काश्त एवं वारिसान के द्वारा ही उसकी सेवा सुश्रुषा करना वताया है। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2013 को हिम्मत सिंह की मृत्यु हुई है,जिस वक्त हिम्मत सिंह के द्वारा 19.12.2001 को बसीयत की गई है। हिम्मत सिंह मुताविक राजस्व रिकार्ड एलॉटी गैर खातेदार दर्ज था।

प्रदर्श-पी-4, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के हिम्मत सिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 19.07.2007 के द्वारा हिम्मत सिंह को खातेदार घोषित किया गया है। प्रदर्श-5 उक्त वादपत्र की प्रमाणित नकल है। जिसके अनुसार उक्त वाद हिम्मत सिंह के द्वारा दायर किया गया है। प्रदर्श-पी-10 स्टाम्प वेण्डर महावीर के रजिस्टर की छांया प्रति है। जिसमें क्र0संख्या 5793 पर 10 रू0 स्टाम्प वसीयतनामा हेतु क्रय किया जाना अंकित है। वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य में प्रदर्श-पी-6,प्रदर्श-पी-7, प्रदर्श-पी-8, प्रदर्श-पी-9,प्रदर्श-पी-10,प्रदर्श-पी-11, प्रदर्श-पी-12, प्रदर्श-पी-13,जवकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य को प्रदर्श-डी-1, प्रदर्श-डी-2, प्रदर्श-डी-3, प्रदर्शित किये है।

वकील वादिया का कथन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 2012(2) आर.आर.टी.1009 निर्णय दिनांक 12.03.2012 वसीयत की वैद्यता के सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का सावित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है जिसके अनुसार यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग ना लाया जाऐगा। जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्षी यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्यधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो उसका निष्पादन सावित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो।

वादिया द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श-2 के एकमात्र गवाह तुलाराम के बयान न्यायालय में नहीं करवाये गये है। साथ ही एक अन्य वसीयत रनवीर सिंह ने अपने शपथ पत्र में ऐसी किसी वसीयत होने से इन्कार किया है। वसीयत ना तो नॉटराइज्ड है और ना ही रजिस्टर्ड, वसीयत करते समय वसीयतकर्ता गैर खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत नजीर 2006(2)आर.आर.टी. 1422 अपील संख्या 177/2003 निर्णय दिनांक 31.05.2006 में गैर खातेदार को भूमि अन्तरण का कोई अधिकार नहीं होता है। एक अन्य नजीर 2014(1)आर.आर.टी.209 अपील टी.ए.नम्बर 4227/2005 में पारित निर्णय स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं गैर खातेदारी की भूमि वसीयत के जरिये भूमि हस्तान्तरण का अधिकार नहीं। वसीयत सन्देहास्पद और विधि अनुसार सावित नहीं।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार सत्यापन साक्षियों और वसीयत के लेखक की सशपथ गवाही से सावित करना आवश्यक है। धारा 63 की उपधारा(ग)अनुसार साक्षीगण द्वारा यह सावित करना आवश्यक है कि वसीयतकर्ता ने उनके सामने व उन्होंने वसीयतकर्ता के सामने वसीयत दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किये थे। जब वसीयत द्वारा प्राकृतिक वारिसान को उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है और ऐसे प्राकृतिक वारिसान द्वारा वसीयत की सदभाविकता को चुनौती दी जाती है तो वसीयत के लाभार्थी पर यह भार आ जाता है कि वसीयत को सदभाविक व सन्देह से परे सावित करें। एक गैर खातेदार को वसीयत करने के अधिकार नहीं होने एवं वसीयतकर्ता के वक्त वसीयतनामा राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज होने एवं वसीयत को सन्देह से परे व सदभाविक सावित नही किये जाने पर तनकी संख्या 1 विरूद्व वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-2,</u> आया वादिया विवादित आराजी बावत प्रति0 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने की अध्किारी है?

तनकी संख्या 1 विरूद्व वादिया निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्याः-3,</u> आया विवादित आराजी पर दर्ज खातेदार हिम्मत सिंह के विधिक वारिसान प्रति0 संख्या 1 लगायत 4 ही है?

स्वयं वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को अपने वाद में असल प्रति0 बनाया है। जबाव दावा की मद संख्या 3 में भी प्रति0 संख्या 1 लगायत 4 ने हिम्मत सिंह का दिनांक 04.10.2013 को मृतक हो जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उसकी पत्नी एवं 2 लगायत 4 का हिम्मत सिंह की पुत्रियां होना स्वीकार किया है। गवाह रनवीर सिंह ने भी अपने शपथपत्र में यही उल्लेख किया है। तनकी संख्या 3 विरूद्ध वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-4, आया विवादित आराजी बावत तथा कथित वसीयत दिनांक 19.02.2001 हिम्मत सिंह द्वारा वादिया के पक्ष में तस्दीक नहीं कराया है?

वादिया द्वारा प्रदर्श-2 पर प्रस्तुत वसीयत नॉटराईज्ड नहीं है,रजिस्ट्रीकृत नहीं है एवं न्यायालय में वसीयती गवाह द्वारा प्रमाणित नहीं है। सन्देह से परे व सदभाविक नहीं होने के कारण तनकी संख्या 4 भी विरूद्ध वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-5, आया वादिया आराजी मुत0 से कोई सरोकार नहीं है। तनकी संख्या 1,2,3,4 विरूद्ध वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 5 भी विरूद्ध वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:-6,दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6 विरूद्ध वादिया प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम वादिया का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

वादिया का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट, दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner